सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर—272202 उ0प्र0 (भारत)
Email Id: registrar@suksn.edu.in, Website : www.suksn.edu.in

महत्वपूर्ण

पत्रांक— 1769/ कु0स0का0 / सि0वि0वि0 / 2026, दिनांक— 28—03—2026

सेवा में,

1. **प्रो0 सुनीता त्रिपाठी,**
   नोडल अधिकारी, मिशन शक्ति,
   सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।

2. **प्राचार्य / प्राचार्या,**
   समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
   सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।

विषय— प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन हेतु वासन्तिक नवरात्र के पर्व पर "मिशन शक्ति" के विशेष अभियान फेज—05 के द्वितीय चरण का शुभारम्भ।

महोदया / महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग—3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या—323 / सत्तर—3—2026—1860229 दिनांक 25—03—2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या—1272249 / 6—15099 / 58 / 2025 दिनांक 19—03—2026 की छाया प्रति संलग्न के प्रश्नगत प्रकरण में की गयी अपेक्षानुसयार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को समयान्तर्गत अवगत कराने के निर्देश प्रदान किये गये है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में संलग्न पत्र के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए उक्त सूचना अधोहस्ताक्षरी के ई—मेल आई0डी0 registrar@suksn.edu.in पर दिनांक 30—03—2026 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे उक्त सूचना ससमय शासन को प्रेषित किया जा सकें।

संलग्नक— यथोपरि।

28/03/26

कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

पत्रांक— / तददिनांकित।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, कुलपति, मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. सम्बन्धित पत्रावली हेतु।

कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

संख्या- 323 /सत्तर-3-2026- 1860229

प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **निदेशक,**
उच्च शिक्षा,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2. **कुलसचिव,**
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

3. **अपर सचिव,**
उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद्,
लखनऊ ।

4. **समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,**
उ0प्र0।

5. **उप निदेशक,**
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान
(रूसा), लखनऊ।

6. **विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी,**
राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक

उच्च शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक: 25 मार्च, 2026

विषय:- प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन हेतु यासन्तिक नवरात्र के पर्व पर "मिशन शक्ति" के विशेष अभियान फेज-05 के द्वितीय चरण का शुभारम्भ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-1272249/6-15099/58/2025, दिनांक 19.03.2026 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित कर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में की गयी अपेक्षानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही से शासन को समयान्तर्गत अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
Digitally signed by
Shakil Ahmad Siddiqui
Date: 25-03-2026
16:47:06
(शकील अहमद सिद्दीकी)
संयुक्त सचिव।

सं० 323 /सत्तर–3–2026

अतिमहत्त्वपूर्ण/प्राथमिकता

संख्या-1272249/ 6-15099/58/2025

संख्या 6961/VIPPSHED/2026
दिनांक 19/3/2026

प्रेषक,

एस0पी0 गोयल
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा/ माध्यमिक शिक्षा/ उच्च शिक्षा/ चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/ ग्राम्य विकास/ पंचायती राज/ नगर विकास/ युवा कल्याण/ राजस्व / महिला कल्याण/ संस्कृति/ सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट, उ0प्र0।
3. समस्त जिलाधिकारी उ0प्र0।
4. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।

गृह (पुलिस) अनुभाग-15 	लखनऊः दिनांकः 19 मार्च, 2026

विषयः प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन हेतु वासन्तिक नवरात्र के पर्व पर "मिशन शक्ति" के विशेष अभियान फेज-05 के द्वितीय चरण का शुभारम्भ।

महोदया/ महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 620/छः-पु0-15/2025 दिनांक 19 सितम्बर, 2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन हेतु मिशन शक्ति के विशेष अभियान फेज-05 के प्रथम चरण को दिनांक 22 सितम्बर, 2025 से प्रारम्भ किए जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किए गए थे। प्रदेश सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि मिशन शक्ति विशेष अभियान फेज-05 के द्वितीय चरण का वासन्तिक नवरात्र के पावन पर्व पर **दिनांक 19 मार्च, 2026** से शुभारम्भ किया जाए।

2- मिशन शक्ति अभियान में सम्मिलित समस्त विभागों द्वारा अन्तर्विभागीय समन्वय स्थापित करते हुए मिशन शक्ति के विशेष अभियान फेज- 05 के द्वितीय चरण के सफल संचालन हेतु विस्तृत कार्ययोजना की प्रति संलग्न है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन हेतु वासंतिक नवरात्र के पावन पर्व पर मिशन शक्ति के विशेष अभियान फेज- 05 के द्वितीय चरण का संलग्न कार्ययोजना के अनुरूप सफलतापूर्वक संचालन/ आयोजन किया जाना सुनिश्चित किया जाए। आयोजित

कार्यक्रमों से सम्बन्धित फोटो व वीडियो विभिन्न सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर प्रसारित किए जाएं तथा प्रिण्ट/ इलैक्ट्रॉनिक मीडिया से समन्वय करते हुए आवश्यक प्रचार-प्रसार किया जाए। इसके साथ ही जनपद स्तर पर सम्पन्न कार्यक्रमों की पाक्षिक प्रगति रिपोर्ट महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन मुख्यालय की ई-मेल आई0डी0- 1090police@gmail.com पर उपलब्ध कराई जाए।

उपर्युक्त निर्देशों का प्रभावी ढंग से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

19/3/2026

(एस0पी0 गोयल)

मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0, शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।
3. विशेष पुलिस महानिदेशक, कानून-व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ।
4. अपर पुलिस महानिदेशक, अभियोजन/ महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, उ0प्र0।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0।
7. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
8. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/ पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।
9. समस्त सम्बन्धित विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।

आज्ञा से,

Digitally signed by
MANJULATA SINGH
Date: 19-03-2026
14:59:08

(मंजू लता सिंह)

विशेष सचिव

महत्वपूर्ण

संख्या-ई-3974005 /60-3-2026-सी-1973605

प्रेषक,

अवनीश कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 19 मार्च, 2026

विषय-प्रदेश में महिलाओं तथा बच्चों की सुरक्षा, सम्मान तथा स्वावलम्बन हेतु वासंतिक नवरात्र के पर्व पर दिनांक 19 मार्च, 2026 से 30 दिवसीय "मिशन शक्ति" के विशेष अभियान, फेज-05 के द्वितीय चरण के संचालन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-1/2026/6-15099/ 58/2025, दिनांक 19.03.2026 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से यह अवगत कराया गया है कि महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन हेतु मिशन शक्ति के विशेष अभियान फेज-05 का दिनांक 22.09.2025 से प्रारम्भ किए जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश पूर्व में निर्गत है। प्रदेश सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि मिशन शक्ति के विशेष अभियान फेज-05 के द्वितीय चरण को वासंतिक नवरात्र के पावन पर्व पर दिनांक 19 मार्च, 2026 से शुभारम्भ किया जाए। इस सम्बन्ध में विस्तृत कार्ययोजना उक्त पत्र के साथ संलग्न करके उपलब्ध करायी गयी है।

3- यह भी अपेक्षा की गयी है कि प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन हेतु वासंतिक नवरात्र के पावन पर्व पर दिनांक 19 मार्च, 2026 मिशन शक्ति के

(डॉ० मंजु सिंह)
विशेष कार्याधिकारी एवं
राज्य सम्पर्क अधिकारी
राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक
उच्च शिक्षा विभाग
उ0प्र0 शासन

विशेष अभियान फेज-05 का द्वितीय चरण संलग्न कार्ययोजना के अनुरूप सफलतापूर्वक संचालन/आयोजन किया जाना सुनिश्चित किया जाए। आयोजित कार्यक्रमों से सम्बन्धित फोटो, वीडियो, विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर प्रसारित किए जाएं तथा प्रिन्ट/इलेक्ट्रानिक मीडिया से समन्वय करते हुए आवश्यक प्रचार-प्रसार करें।

4- अतः मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-1/2026 /6-15099/58/2025, दिनांक 19.03.2026 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पत्र के साथ संलग्न कार्ययोजना के अनुसार मिशन शक्ति के विशेष अभियान फेज-05 के द्वितीय चरण का शुभारम्भ किए जाने के सम्बन्ध में तत्काल प्रभावी ढंग से कार्यवाही करने का कष्ट करें तथा शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक-यथोक्त।</u>

भवदीय,

Digitally signed by
AVNEESH KUMAR SINGH
Date: 19-03-2026
20:24:45

(अवनीश कुमार सिंह)

अनु सचिव।

संलग्नक "क"

मिशन शक्ति अभियान हेतु विभागवार प्रस्तावित कार्ययोजना / रूपरेखा
(वासंतिक नवरात्र के प्रथम दिवस- 19 मार्च, 2026 से शुभारम्भ)

1. **गृह विभाग-**

वासंतिक नवरात्र के पावन पर्व पर प्रथम दिवस दिनाँक- 19.03.2026 को 30 दिवस के लिए मिशन शक्ति (**फेज 05 द्वितीय चरण**) के प्रमुख कार्यक्रमों का शुभारम्भ निम्नानुसार किया जाएगाः-

- नवरात्रि में मन्दिरों, धार्मिक स्थलों, मेलों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर महिला पुलिस बल की विशेष तैनाती किया जाना।
- पूजा पण्डालों व रामनवमी में महिला चौपाल का आयोजन कर महिलाओं से सम्बन्धित सरकारी कल्याणकारी योजनाओं व हेल्पलाइन से सम्बन्धित पैम्पलेट वितरित करते हुए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना ।
- अभियान के दौरान महिलाओं में विश्वास की भावना बढ़ाने एवं उनके साथ होने वाली घटनायें यथा- छेड़खानी इत्यादि पर अंकुश लगाये जाने तथा पिंक बूथ की महत्ता एवं संवेदनशीलता के दृष्टिगत महिला बीट पुलिस अधिकारी एवं पिंक बूथ पर नियुक्त कर्मियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत प्रत्येक पिंक बूथ पर प्रतिदिन एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाये, जिसमें महिला शिक्षिका, व्यापार मण्डल, गैर सरकारी संगठन, सेल्फ हेल्प ग्रुप, समाज सेवी, स्वरोजगार इत्यादि से जुड़ी महिलाओं को एकत्रित करते हुये उनसे संवाद किया जाय। अभियान के दौरान प्रत्येक पिंक बूथ पर सहायक पुलिस आयुक्त/पुलिस क्षेत्राधिकारी द्वारा कम से कम एक बार मौजूद रहकर कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाली महिलाओं को जागरूक किया जाना ।
- वासंतिक नवरात्रि के शुभारम्भ के दिन अर्थात 19.03.2026 से मन्दिरों, सार्वजनिक स्थलों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर एण्टी रोमियो स्क्वाड द्वारा टास्क निर्धारित कर सघन अभियान चलाते हुए शोहदों के विरूद्ध मौके पर ही कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उक्त कार्य हेतु तैनात किये जाने वाले पुलिस कर्मियों की काउन्सलिंग करते हुए उन्हें जनसामान्य के साथ मर्यादित व्यवहार के लिए भी निर्देशित किया जाना।
- सभी कमिश्नरेट/जनपदों में किसी सार्वजनिक स्थान पर जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर महिला सम्बन्धी विभागों के सहयोग से एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाए, जिसमें-
  - जनपद स्तर पर बहादुरी का कार्य करने वाली महिलाओं/लड़कियों को सम्मानित किया जाना।

- पुलिस के लिए महत्वपूर्ण सहयोग देने वाले हितधारकों/ महिला कर्मियों के द्वारा किये गये उल्लेखनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया जाना।
- स्थानीय जनप्रतिनिधियों तथा प्रेरणादायी महिलाओं की सहभागिता।
- महिलाओं एवं बच्चियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रस्तुतीकरण।

- प्रत्येक थाने में स्थापित मिशन शक्ति केन्द्रों में थाना क्षेत्र की विभिन्न वर्गों की महिलाओं को आमंत्रित कर मिशन शक्ति केन्द्र के कार्यों, उद्देश्यों तथा इस केन्द्र द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाओं के सम्बन्ध में दिन-प्रतिदिन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन
- महिलाओं के अत्यधिक आवागमन वाले महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों तथा संवेदनशील हॉट-स्पॉट्स पर पुलिस की व्यापक फुट पैट्रोलिंग तथा पीआरवी द्वारा पैट्रोलिंग।
- राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) द्वारा मिशन शक्ति अभियान से सम्बन्धित फोल्डर्स एवं पैम्पलेट्स का रेलवे प्लेटफार्म/स्टेशन एवं ट्रेनों में विशेषकर महिला यात्रियों को वितरित किया जाना।
- मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत व वार्ड में कार्यक्रम आयोजित किया जाना, जिसमें बीट पुलिस अधिकारी, आँगनबाड़ी कार्यकत्री, बीसी सखी, लेखपाल, ए0एन0एम0, आशा वर्कर, ग्राम पंचायत अधिकारी, रोजगार सेवक आदि की प्रत्येक दिन उनकी उपस्थिति उस ग्राम/न्याय पंचायत व वार्ड में सुनिश्चित हो । आयोजन में ग्राम प्रधानों/सभासदों से भी समन्वय कर महिलाओं के साथ संवाद स्थापित करें, उनकी समस्याओं को समझते हुए उनके अधिकारों एवं सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराया जाना । इस हेतु पुलिस आयुक्त/जिला अधिकारी/पुलिस अधीक्षक के स्तर से यह सुनिश्चित किया जाना कि प्रत्येक कार्यदिवस में महिला पुलिस बीट अधिकारियों एवं अन्य सरकारी सेवकों द्वारा निर्धारित ग्राम सभा/नगरीय वार्ड में भ्रमण/उपरोक्त कार्यों को सम्पादित किया जाय, जिसके अन्तर्गत निम्न कार्यवाही कराया जाना -
  - प्रत्येक ग्राम पंचायत व वार्ड में कार्यक्रम आयोजित करना।
  - महिला केन्द्रित विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करना।
  - योजनाओं के लाभ में आ रही समस्याओं का निस्तारण कर कार्य को आगे बढ़ाना।
  - कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं से आवेदन लेकर उनका पंजीकरण कराना और योजनाओं से जोड़ना।
  - महिला सशक्तीकरण जन-जागरुकता कार्यक्रम पूरे प्रदेश के सभी वार्ड और ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित करना।
  - हेल्प लाइन नम्बरों यथा- 112, 1090, 181, 1098, 1930, 1076 की जानकारी देना तथा विभिन्न फोरम जैसे जनसुनवाई पोर्टल, स्थानीय थाने की महिला हेल्प डेस्क, जिला संरक्षण

अधिकारी, राष्ट्रीय/राज्य महिला आयोग, जनपद न्यायालय में स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आदि की जानकारी प्रदान कराना।

- महिलाओं एवं बच्चों से सम्बन्धित समस्याओं एवं मुद्दों पर समझ बनाना।
- महिलाओं एवं बच्चों से सम्बन्धित विभिन्न प्रमुख कानूनों यथा घरेलू हिंसा से संरक्षण, दहेज प्रतिषेध, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण, अनैतिक व्यापार निवारण, पॉक्सो ऐक्ट, बाल विवाह प्रतिषेध, बालश्रम एवं भारतीय न्याय संहिता में महिलाओं की गरिमा के विरूद्ध प्रमुख अपराध आदि की जानकारी देना।
- मौके पर समस्याओं का निस्तारण।

- समस्त सर्किल स्तर पर पुलिस कर्मियों की सुविधा हेतु शिशु गृह (Creche) की स्थापना ।
- बीट पुलिस अधिकारी द्वारा बीट क्षेत्र में स्थित स्कूल/कालेजों में बालिकाओं हेतु अलग से शौचालय व्यवस्था है अथवा नहीं इसके सम्बन्ध में जानकारी कर स्थानीय प्रशासन स्कूल/कालेज प्रबन्धक से समन्वय स्थापित कर नवीन शौचालय की व्यवस्था हेतु प्रेरित करना।
- जनपद में संचालित नारी संरक्षण गृह व महिला से सम्बन्धित अन्य आश्रय गृहों में उपजिलाधिकारी एवं क्षेत्राधिकारी व महिला अधिकारी संयुक्त रूप से जाकर उनमें आवासित महिलाओं एवं बालिकाओं से वार्ता करेंगे एवं आवश्यक विधिक सहायता उपलब्ध कराया जाना ।
- जनपद स्थित कारागार में उपजिलाधिकारी एवं क्षेत्राधिकारी व महिला अधिकारी संयुक्त रूप से जाकर निरूद्ध महिलाओं /बालिकाओं से वार्ता करेंगे एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से समन्वय स्थापित कर निःशुल्क विधिक सहायता ।
- परिवार न्यायालय से समन्वय स्थापित कर घरेलू विवाद एवं गुजारा भत्ता के प्रकरणों से सम्बन्धित मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत सम्मनों की सूची प्राप्त कर निर्गत सम्मनों का शत प्रतिशत तामीला कराया जाना।
- महिला बीट अधिकारियों द्वारा पुलिस तक न पहुंचने वाली परन्तु घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं का चिन्हीकरण करना ताकि सही समय पर उचित काउन्सलिंग/विधिक कार्यवाही/नियमित निगरानी ।
- थानों में पंजीकृत महिला सम्बन्धी अपराधों में जेल से रिहा अभियुक्तों का सत्यापन व निरोधात्मक कार्यवाही।
- जिलाधिकारी तथा पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में महिला सुरक्षा सम्बन्धी जनपदीय कान्फ्रेंस का आयोजन जिसमें-
  - जनपद के बड़े चिकित्सालय (सरकारी/प्राइवेट), बड़े शिक्षण संस्थान (विश्वविद्यालय से लेकर स्कूल/कालेज स्तर तक), इण्डस्ट्रियल पार्क/ऐसे उद्यमी जिनके प्रतिष्ठानों में जहां बड़ी संख्या में महिलायें कार्यरत हैं को आमंत्रण।

- महिला छात्रावासों के प्रबन्धक, मुख्य बाजारों के व्यापार मण्डल के प्रतिनिधियों/सदस्यों को आमंत्रण।
- प्रतिष्ठानों के अन्दर तथा आसपास महिला सुरक्षा सम्बन्धी चुनौतियों का चिन्हीकरण तथा सुरक्षा में सुधार के लिए सुझाव मांगते हुए यथासम्भव इन सभी चुनौतियों/सुझावों का निराकरण।

- महिला सुरक्षा की जागरूकता हेतु जनपद स्तर पर एक दौड़ (Run for Empowerment) कार्यक्रम का आयोजन जिसमें-
  - महिलाओं/बच्चियों की सहभागिता अधिकतम हो।
  - स्थानीय जनप्रतिनिधियों, महत्वपूर्ण अधिकारियों के साथ क्षेत्र की प्रेरणादायी एवं सम्भ्रान्त महिलाओं को भी आमंत्रण ।
  - दौड़ की समाप्ति पर महिला सुरक्षा सम्बन्धी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन ।
- महिला अपराधों से सम्बधित संवेदनशील स्थानों/हॉटस्पाट पर सीसीटीवी कैमरों का अधिष्ठापन। पूर्व में स्थापित सीसीटीवी कैमरों की क्रियाशीलता की चेंकिग तथा निष्क्रिय कैमरों को क्रियाशील कराया जाना।
- राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) द्वारा मिशन शक्ति अभियान से सम्बन्धित फोल्डर्स एवं पैम्फलेट्स का रेलवे प्लेटफार्म/स्टेशन एवं ट्रेनों में विशेषकर महिला यात्रियों को वितरित कराया जाना।
- सार्वजनिक स्थलों पर स्टंटबाजी करने वालों के विरूद्ध मौके पर ही सख्त वैधानिक कार्यवाही की जाय।
- महिला अपराध के जनपदीय नोडल आफिसर/महिला राजपत्रित अधिकारी के नेतृत्व में जनपद के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के प्रधानाचार्य, प्रत्येक संस्था से 02-02 शिक्षकों व अभिभावकों को आमंत्रित कर सुरक्षा सम्बन्धी जागरूकता कार्यकम का आयोजन।
- महिला बीट पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा समस्त स्कूलों/कालेजों में जाकर महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन के द्वारा उपलब्ध करायी गयी लघु फिल्मों का प्रदर्शन एवं महिलाओं से सम्बन्धित सरकारी कल्याणकारी योजनाओं व हेल्पलाइन नम्बर से सम्बन्धित पैम्पलेट/फोल्डर वितरित करते हुए व्यापक जन-जागरूकता एवं प्रचार-प्रसार।
- महिला अपराधों में संलिप्त अपराधियों पर जीरो टॉलरेन्स की नीति अपनाते हुए सख्त कार्यवाही की जाए तथा महिला अपराधों के सम्बन्ध अभियोजन की प्रक्रिया में त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करना ।

<u>एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग-</u>

- ए0एच0टी0 थाना व अन्य विभागों के समन्वय से बाल विवाह, बाल श्रम, भिक्षावृत्ति व अन्य बाल अपराधों के सम्बन्ध में विशेषकर ग्रामीण एवं मलिन बस्तियों में जागरूकता कार्यक्रम।

- घरेलू यौन अपराध एवं होटल, स्पा, ब्यूटी पार्लर, कालसेण्टर आदि में अवैध गतिविधियों के सम्बन्ध में जानकारी कर कार्यवाही ।
- बीट क्षेत्र में यदि बाहर से कोई महिला/बच्चा आकर निवास कर रहा/रही हो अथवा क्षेत्र की महिला/बच्चा गायब हो उसके सम्बन्ध में जानकारी कर आवश्यक कार्यवाही ।
- उ0प्र0 विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिशेध अधिनियम-2021(यथा संशोधित 2024), से सम्बन्धित सन्दिग्ध प्रकरणों/व्यक्तियों को चिन्हित किया जाए तथा बहलाई-फुसलाई गयी/प्रताड़ित/पीड़ित महिलाओं/ बालिकाओं को सुरक्षा प्रदान करते हुए आरोपियों के विरूद्ध विधि संगत कार्यवाही ।
- नये डार्क स्पॉट्स, जहां महिलाओं का आवागमन अधिक रहता है, ऐसे स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा व स्ट्रीट लाइट्स लगवाने के लिए लोगों को प्रेरित करना।
- जुआ, शराब एवं अन्य मादक पदार्थों के विक्री वाले स्थानों, चेन स्नेचिंग के सम्भावित स्थानों एवं ऐसे सुनसान स्थान जहां महिला अपराध की सम्भावना बनी रहती है के बारे में जानकारी व आवश्यक कार्यवाही।
- कमिश्नरेट/जनपद स्तर पर सम्पन्न कार्यक्रमों की प्रतिदिन की सूचना/प्रगति रिपोर्ट महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन मुख्यालय के मिशन शक्ति पोर्टल पर अपलोड करना।

<u>अन्य महत्वपूर्ण कार्यवाही-</u>

- मिशन शक्ति अभियान के शुभारम्भ के अवसर पर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में 19 मार्च 2026 को महिला पुलिस कर्मियों द्वारा बाइक रैली ।
- महिलाओं एवं बालिकाओं के उत्पीड़न से सम्बन्धित स्थापित वीमेन पावर लाइन-1090 तथा मिशन शक्ति केन्द्र का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए अधिक से अधिक महिलायें एवं बालिकाओं को इस सुविधा का लाभ प्राप्त कराया जाना।
- कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने हेतु विभिन्न माध्यमों जैसे- लघु फिल्म, नुक्कड़ नाटक, ध्वनि संदेश, संवाद, सूचनापरक पुस्तिका, सूचनापरक पैम्पलेट आदि का प्रयोग किया जाए तथा सरकारी योजनाओं के सम्बन्ध में पैम्पलेट का वितरण।
- आयोजित कार्यक्रमों से सम्बन्धित फोटो, वीडियो विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर प्रसारित किये जाये तथा प्रिन्ट/इलेक्ट्रानिक मीडिया से समन्वय करते हुए आवश्यक प्रचार प्रसार ।
- 08 महानगरों (लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, कानपुर नगर व मेरठ) में डिजिटल स्क्रीन के माध्यम से महिला सुरक्षा से सम्बन्धित लघु फिल्मों का प्रदर्शन।

2. <u>महिला एवं बाल विकास विभाग-</u>

जनपद व ब्लॉक स्तर पर ज़िला प्रोबेशन अधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकारी के नेतृत्व में हब फॉर वूमेन इम्पावरमेन्ट, जिला बाल संरक्षण ईकाई, चाइल्ड हेल्पलाइन, वन स्टॉप सेन्टर, सी0डी0पी0ओ0, सुपरवाइज़र व स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से गतिविधियों का संचालन किया जायेगा तथा ग्राम स्तर पर आँगनबाडी कार्यकत्रियों तथा सहायिकाओं का सहयोग लिया जायेगा ।

- **<u>साइकलोथॉन (मेगा इवेन्ट)-</u>** जनपद स्तर पर जिलाधिकारी, जनपद के प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा नामित प्रशासनिक अधिकारी एवं ग्राम स्तर ग्राम प्रधान के नेतृत्व में महिलाओं और बच्चों संबंधी राज्य/जनपद स्तरीय संकेतकों यथा जनसंख्या अनुपात, जन्म मृत्यु दर, लिंगानुपात, स्कूल ड्रॉपआउट, बाल विवाह, लैंगिक शोषण, संस्थागत प्रसव, साक्षरता दर तथा महिलाओं और बच्चों के प्रति होने वाली हिंसा तथा विभागीय योजनाओं आदि को समाज के समक्ष रखते हुए उनके सुधार हेतु जन-जागरूकता करना ।
- **<u>सार्वजनिक स्थलों पर जन-जागरूकता-</u>** नवरात्र के अवसर पर होने वाले आयोजनों बाजारों में मोबाइल वैन, ने कैनोपी, स्टॉल स्थापित करते हुए महिला केन्द्रित योजनाओं यथा- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेन्टर, 181 महिला हेल्पलाइन, निराश्रित महिला योजना, शक्ति सदन आदि योजनाओं का प्रचार प्रसार करना । इसके अतिरिक्त महिलाओं व बालिकाओं को संरक्षण प्रदान करने वाले प्रमुख कानूनों यथा- घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष), अधिनियम, 2013, दहेज निषेध अधिनियम, 1961 (संशोधित 1986) तथा गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के प्रमुख प्राविधानों के बारे में जागरूक किया जाना ।
- **<u>ड्राइविंग माय ड्रीम्स (मेगा इवेन्ट)-</u>** प्रत्येक जनपद द्वारा कम से कम 100 महिलाओं एवं बालिकाओं को न्यूनतम 01 माह के ड्राइविंग कोर्स में प्रशिक्षित करते उनके ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया जाना।
- **<u>कन्या पूजन (मेगा इवेन्ट)-</u>** समाज में बालिकाओं के जन्म के प्रति सोच में सकारात्मक बदलाव के उद्देश्य से अष्टमी/नवमी के अवसर पर प्रत्येक ब्लॉक में जिलाधिकारी / जनप्रतिनिधियों / प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में कन्या पूजन किया जाना ।
- **<u>पर्सनल सेफ्टी अवेयरनेस-</u>** वार्ड/ब्लॉक एवं ग्राम स्तर पर बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण विषयों पर महिलाओं और बच्चों को जागरूक किया जाना एवं विद्यालयों में भी उक्त विषय पर विशेष रूप से न्यूनतम 03 सत्रों का आयोजन किया जाना ।

- **'बाल विवाह को ना' – चैम्पियंस का सम्मान-** जनपद स्तर पर रोके गये बाल विवाहों में शामिल बालिकाओं के सम्मान में विशेष समारोह का आयोजन कर उनके सामने आई चुनौतियों पर चर्चा-परिचर्चा किया जाना ।
- **सेल्फ डिफेंस कार्यशाला-** समस्त बाल देखरेख संस्थाओं में सेल्फ डिफेन्स कार्यशाला का आयोजन किया जाना ।
- **स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिविर**- चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सहयोग से महिलाओं एवं बच्चों हेतु चिकित्सा जाँच शिविरों का आयोजन किया जाना ।
- **पार्टनर्स फॉर इम्पावरमेंट ऑफ वूमेन एण्ड चिल्ड्रेन-** निदेशालय स्तर से समस्त जनपदों द्वारा वन स्टॉप केन्द्र, चाइल्ड हेल्पलाइन, बाल कल्याण समिति तथा बाल देखरेख संस्थाओं के संपर्क में आने वाले बच्चों तथा महिलाओं की शिक्षा, खेलकद, परामर्श, कौशल विकास, वैयक्तिक विकास आदि के सम्बन्ध में स्थानीय विश्वविद्यालय/कालेज के साथ डिजिटल एम0ओ0यू0 साइन करने हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया जाना ।
- **जागरूकता चौपाल-** ग्राम स्तर पर घरेलू हिंसा/दहेज उन्मूलन विषय पर अभिमुखीकरण का आयोजन किया जाना ।
- **ऑपरेशन मुक्ति-** अन्य विभागों के समन्वय से बाल विवाह तथा बाल श्रम के विरूद्ध 10 दिवसीय जागरूकता एवं रेस्क्यू हेतु वृहद अभियान का आयोजन किया जाना ।
- **अनन्ता (प्रेरक महिलाओं तथा बालिकाओं की पहचान व सम्मान)-** समाज में बदलाव हेतु प्रयासरत महिलाओं की प्रेरक कहानियों को जनपद स्तर पर विभिन्न माध्यमों जैसे - टी0वी0, रेडियो, एफ0एम0, कम्यूनिटी-रेडियो, टॉक शो, गोष्ठियों, अखबार आदि के माध्यम से जन-जन तक पहुँचाया जाना ।
- **हक की बात जिलाधिकारी के साथ (मेगा इवेन्ट)-** जनपद स्तर पर जिलाधिकारी के साथ लैंगिक हिंसा, लैंगिक असमानता, घरेलू हिंसा, कन्या भ्रूण हत्या, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न तथा दहेज हिंसा आदि की पीड़ित महिलाओं के संरक्षण, सुरक्षा तंत्र, सुझावों तथा सहायता हेतु न्यूनतम 02 घण्टे के पारस्परिक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाना ।
- **स्वावलम्बन कैम्प (मेगा इवेन्ट)-** तहसील स्तर पर संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर ही स्वावलंबन कैम्प आयोजित करते हुए, केन्द्र व प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं यथा- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (कोविड व सामान्य), निराश्रित महिला पेंशन योजना, स्पॉन्सरशिप योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आदि में लाभान्वित किये जा सकने वाले परिवारों, महिलाओं तथा बच्चों के आवेदनों की समस्त कार्यवाही इन वन विन्डो-कैम्पस के माध्यम से पूर्ण किया जाना ।

- **<u>कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम, 2013 पर अभिमुखीकरण</u>**- समस्त जनपदों में कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीडन (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 के अंतर्गत गठित स्थानीय व आंतरिक परिवाद समितियों का प्रशिक्षण व अभिमुखीकरण का आयोजन किया जाना ।
- **<u>ग्राम बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति बैठक</u>**- प्रत्येक ग्राम सभा में मिशन वात्सल्य के अंतर्गत गठित ग्राम बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठकों का आयोजन करते हुए बच्चों के मुद्दों पर चर्चा किया जाना ।
- **<u>सोशल मीडिया कैम्पेन</u>**- कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं और बच्चों संबंधी राज्य/जनपद स्तरीय संकेतकों यथा- जनसंख्या अनुपात, जन्म/मृत्यु दर, लिंगानुपात, स्कूल ड्रॉपआउट, बाल विवाह, लैंगिक शोषण, संस्थागत प्रसव, साक्षरता दर तथा महिलाओं और बच्चों के प्रति होने वाली हिंसा आदि को समाज के समक्ष रखते हुये उनके सुधार हेतु सोशल मीडिया के माध्यम से जन-जागरूकता हेतु प्रयास किया जाना।
- **<u>नुक्कड़ नाटक</u>**- लैंगिक समानता विषय पर नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया जाना ।
- **<u>टॉक शो विद आइडियल्स</u>**- राजकीय विद्यालयों की कक्षा 9 से उपर व विश्वविद्यालय स्तर तक की बालिकाओं के साथ संवाद करते हुए जनपद स्तर पर अपने जीवन में सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ने वाली महिलाओं के साथ न्यूनतम 2 घण्टे के टॉक शो का आयोजन किया जाना ।
- **<u>एक दिन की जिलाधिकारी बालिकाओं तथा महिलाओं द्वारा सांकेतिक भूमिका निर्वहन कार्यक्रम (मेगा इवेन्ट)</u>**- देश-प्रदेश के संवैधानिक व प्रशासनिक पदों पर पहुँचने की प्रेरणा देने हेतु जनपद स्तर पर समस्त महिलाओं तथा मेधावी बालिकाओं को एक दिन की सांकेतिक "जिलाधिकारी" नियुक्त किया जाना ।
- **<u>कन्या जन्मोत्सव</u>**- ब्लॉक स्तर पर किसी भी राजकीय अस्पताल सी.एच.सी./पी.एच.सी. में जन्म लेने वाली बालिकाओं के जन्मोत्सव का आयोजन किया जाना एवं जनपद में जन्म लेने वाली बालिकाओं की संख्या के बराबर वृक्षारोपण कर बालकों तथा पुरूषों को वृक्षों के संरक्षण का दायित्व सौंपा जाना ।
- **<u>शक्ति संवाद</u>**- ब्लॉक स्तर पर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोविड व सामान्य, निराश्रित महिला पेंशन योजना, स्पॉन्सरशिप योजना की लाभार्थी महिलाओं/बालिकाओं का जिलाधिकारी तथा जिलाधिकारी द्वारा नामित प्रशासनिक अधिकारियों के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाना ।
- **<u>व्यक्तिगत स्वच्छता संवाद</u>**- महिला एवं बाल देखरेख संस्थाओं में संवासियों की व्यक्तिगत स्वच्छता (Personal/Menstrual Hygiene) हेतु विषय-विशेषज्ञों के माध्यम सें जागरूकता संवाद का आयोजन किया जाना ।

3. <u>युवा कल्याण विभाग-</u>

- प्रदेश के समस्त जनपदों के 826 विकास खण्डों में जनजागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना ।
- प्रदेश के 123 विभागीय स्टेडियमों में महिलाओं को खेल, फिटनेस एवं आत्मरक्षा की सामान्य जानकारी प्रदान करना ।

4. <u>बेसिक शिक्षा विभाग-</u>

- समस्त समस्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कम्पोजिट विद्यालय तथा केजीबीवी में "मिशन शक्ति' विशेष अभियान पर आधारित पोस्टर बनाना जो नवदुर्गा के नौ रुपों पर आधारित हो तथा उसपर चर्चा करना ।
- समस्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कम्पोजिट विद्यालय तथा केजीबीवी में मां दुर्गा के नवरुपों पर आधारित नुक्कड़ नाटको मंचन, रैली का आयोजन जिसमें तख्तियो परं हेल्प लाइन नम्बर, बाल अधिकार आदि के स्लोगन लिखे हो और बच्चे इनसे संबंधित नारे बोलते हुए जन जागरुकता ।
- समस्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कम्पोजिट विद्यालय तथा केजीबीवी में विद्यालय, विकास खण्ड, तहसील जिला तथा मण्डल स्तर पर बालिकाओं को प्रमुख पदों पर एक दिन आसीन करते हुये एक्सपोजर देना (यथा एक दिन का जिलाधिकारी) ।
- समस्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कम्पोजिट विद्यालय तथा केजीबीवी में मीना दिवस का आयोजन करना, बालिकाओं को निडर फिल्म दिखाकर चर्चा, रैली तथा नुक्कड़ नाटकों का आयोजन जिसमें जन प्रतिनिधियों एवं अभिभावकों को आमन्त्रित करना ।
- समस्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कम्पोजिट विद्यालय तथा केजीबीवी की बालिकाओं द्वारा बैंक का भ्रमण एवं खाता संचालन प्रक्रिया सम्बन्धी जागरूकता तथा सरकारी हॉस्पिटल का भ्रमण एवम पर्चा बनवाने, संबंधित डॉक्टर को दिखाने व विभिन्न तरह की जांच करवाने की जानकारी ।
- समस्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कम्पोजिट विद्यालय तथा केजीबीवी में समस्त जनपद, तहसील, ब्लॉक स्तरीय महिला अधिकारियों तथा ख्याति प्राप्त महिलाओं द्वारा विद्यालय का भ्रमण एवं बालिकाओं से संवाद, आत्मरक्षा प्रशिक्षण के सत्र संचालन तथा सेल्फ डिफेंस क्लब का गठन ।
- समस्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कम्पोजिट विद्यालय तथा केजीबीवी में की बालिकाओं द्वारा निकट के थाना या कोतवाली का भ्रमण, हेल्प लाइन नंबर व FIR लिखने एवं गिरफ्तारी के समय व अन्य नियम के बारे मे बच्चों को बताना, साइबर क्राइम व धोखाधडी के बारे में सचेत करना ।
- समस्त केजीबीवी में विभिन्न सामाजिक मुद्दों जैसे जेंडर स्टेरियो टाइप, बाल विवाह, महिलाओं के लिए सरकारी योजनाओं पर नुक्कड नाटक ।

5. <u>माध्यमिक शिक्षा विभाग-</u>

- माध्यमिक विद्यालयों, जिला तथा मण्डल स्तर पर बालिकाओं को प्रमुख प्रशासनिक पदों पर 01 दिन आसीन करते हुए एक्सपोजर करना ।
- स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर का आयोजन, महिला स्वास्थ्य पर चर्चा, एन्सीनेटर व वेण्डिंग मशीन के प्रयोग की जानकारी प्रदान कराया जाना । 0
- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना, उज्ज्वला योजना, वन स्टाप सेन्टर, पोषण योजना, पी0एम0 स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना, महिला ई-हाट योजना आदि के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान कराना ।
- आपातकालीन सहायता हेतु चाइल्ड हेल्पलाइन- 1098, महिला हेल्पलाइन- 181 / 1090, पुलिस कन्ट्रोल रूम- 112, एम्बुलेंस- 108, नजदीकी थाने के नम्बर की पूरी जानकारी सहित वॉल राइटिंग कराया जाना ।
- विभिन्न क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त स्थानीय महिलाओं को विद्यालय में आमंत्रित करना, पाक्सो एक्ट-2012, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम-2005 आदि कानूनों का जानकारी प्रदान किया जाना ।

6. <u>उच्च शिक्षा</u>-

- प्रदेश के उच्च शिक्षा संस्थानों में महिला सशक्तिकरण से सम्बन्धित काव्यपाठ, स्लोगन निर्माण, निबंध, गीत एवं नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जाना ।
- भारत की सशक्तिकरण की प्रतीक महिलाओं यथा- वीरांगनाएं, कवियित्रियाँ, स्वतन्त्रता सेनानी, उद्यमी एवं अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिलाओं के जीवन चरित्र पर आधारित व्याख्यान का आयोजन किया जाना।
- प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान में माह में एक दिन स्वास्थ्य परीक्षण शिविर तथा मानसिक स्वास्थ्य पर आधारित काउंसिलिंग की व्यवस्था किया जाना, जिसमें स्वास्थ्य परीक्षक एवं काउंसलर का महिला होना आवश्यक है ।
- उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्राओं के कैरियर एवं कौशल विकास हेतु समिति का गठन अनिवार्य रूप से किया जाना, जिसके सदस्यों में महिला सदस्यों का बहुमत होना अनिवार्य है ।
- प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थानों में महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाये जाने हेतु वित्तीय साक्षरता के लिए संगोष्ठी / सेमिनार का आयोजन कराया जाना ।
- छात्राओं को सुप्रीम कोर्ट की विशाखा गाइडलाइन्स के अनुसार कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर रोक लगाने सम्बन्धी अवांछनीय व्यवहारों के प्रति जागरुक करनाः-

  (क) शारीरिक सम्पर्क और प्रगति ।

(ख) यौन सम्बन्धी मांग एवं अनुरोध ।

(ग) यौन रंजित टिप्पणियाँ ।

(घ) अश्लील साहित्य दिखाना ।

(ङ) यौन प्रकृति का कोई अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर मौखिक व्यवहार ।

- प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में एंटी रैगिंग महिला उत्पीड़न निवारण समितियों को सक्रिय बनाना तथा छात्राओं की समस्याओं का निराकरण करना।
- भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा संचालित हेल्पलाइन नंबर (112, 1090, 181 एवं 108) का व्यापक प्रचार-प्रसार एवं जागरूकता शिविर का आयोजन करना।
- प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में महाविद्यालय स्तर पर महिला हेल्प डेस्क का सक्रिय क्रियान्वयन किया जाना।
- प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जाकर महिला स्वावलम्बन हेतु सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान किया जाना ।
- प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों की छात्र–छात्राओं द्वारा (महाविद्यालय में संचालित एनएसएस, रोवर्स रेंजर्स यूनिटों को वरीयता दी जाये) विशेष ग्राम/मोहल्ला गोद लेकर मिशन शक्ति की गतिविधियों की पहुंच सुनिश्चित किया जाना।
- प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में आत्मरक्षा प्रशिक्षण (जूडो कराटे, ताइक्कांडो आदि) का आयोजन किया जाना।
- प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में डिजिटल साक्षरता तथा साइबर सुरक्षा संबंधी कार्यशाला आयोजित कराया जाना।
- प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में साइबर सेल विधि विभाग जिला स्तरीय समितियों से समन्वय स्थापित कर वर्चुअल सेमिनार, वेबिनार व डिजिटल प्रतियोगिताओं द्वारा साइबर सुरक्षा, डिजिटल अरेस्ट व डिजिटल फ्रॉड के प्रति जागरूक किया जाना।
- प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में मिशन शक्ति के अन्तर्गत आयोजित विशिष्ट व प्रेरक गतिविधियों को नियमित रूप से उच्च शिक्षण संस्थानों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे – यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक एवं महाविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कराया जाना ।

7. <u>नगर विकास विभाग-</u>

- महिला सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु सभी नगर निकायों में स्थापित की गई मिशन शक्ति हेल्प डेस्क के माध्यम से महिलाओं द्वारा की जा रही गृह टैक्स/सीवर टैक्स/जल टैक्स एवं सफाई से संबंधित समस्याओं का तत्काल निस्तारण किया जाना। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाते हुए विद्यालय, महाविद्यालय, बाजार व सार्वजनिक स्थलों पर निगरानी सुदृढ़

करना एवं हेल्पलाइन नम्बर (1090, 112) को अधिक प्रभावी बनाने हेतु इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करना।

- महिला सशक्तिकरण हेतु स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण, नारी उद्यमिता को प्रोत्साहन एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन मार्केटिंग व सेल्फ-एम्प्लॉयमेंट प्रदान किया जाना।
- महिलाओं हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही कार्यक्रमों व योजनाओं की जानकारी प्रदान करने हेतु जागरूकता रैली, नाटक व प्रदर्शनी तथा सोशल मीडिया अभियान द्वारा विद्यालय, महाविद्यालय एवं निकाय स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना।
- प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण हेतु नगरीय निकाय कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करते हुए आत्मरक्षा शिविर एवं कानूनी अधिकारों/योजनाओं पर कार्यशालाएं आयोजित किया जाना।
- शक्ति रसोई की संख्याओं को बढ़ाना।
- महिलाओं द्वारा संचालित वेंडिंग जोन की स्थापना करना।
- अमृत योजना अंतर्गत वाटर टेस्टिंग, रिपेयर और रेवेन्यू कलेक्शन में 'अमृत मित्र' के नाम से महिलाओं को नियोजित करना।
- स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से एम0आर0एफ0 सेंटर का संचालन कराया जाना।

<u>उक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्यों को भी किया जा सकता है:-</u>

- प्रत्येक निकाय में महिलाओं की सुविधाओं हेतु हेल्प डेस्क द्वारा महिलाओं की सहायतार्थ, गृहकर, जलकर, जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र का कार्य करना।
- महिला सफाईमित्रों को पी0पी0 किट प्रदान करना।
- महिला सफाईमित्रों का सम्मान समारोह/भोज का आयोजन किया जाना।
- महिला सफाईमित्रों का हेल्थ चेकअप कराना।
- महिला सफाईमित्रों द्वारा झाड़ू लगाने के उपरांत महिला चालकों द्वारा ही एम0आर0एफ0 पर ले जाना।
- निकायों में महिलाओं द्वारा किये जा रहे होम कम्पोस्टिंग को निकाय द्वारा पुरस्कृत किया जाना।
- बालिका/महिला को एक दिन हेतु अधिशासी अधिकारी/जोनल अधिकारी इत्यादि की जिम्मेदारी का अहसास कराना।
- महिलाओं द्वारा डोर-टू-डोर कैम्पेन/सोर्स सेग्रीग्रेशन के प्रति निकायों में जागरूक करना।
- महिला सफाईमित्रों द्वारा 1533/14420 हेतु जागरूकता रैली का आयोजन करना।
- बालिकाओं/महिलाओं द्वारा वाल पेंटिंग, पौधारोपण, गोष्ठी का आयोजन करना।
- बालिकाओं/महिलाओं द्वारा रंगोली, मेहंदी कम्पटीशन का आयोजन करना।

- बालिकाओं/महिलाओं द्वारा पोस्टर, स्कूलों में प्रदर्शनी (रिसाइक्लिंग प्रोडक्ट/वेस्ट मटेरियल) का आयोजन करना।
- महिला सफाईमित्रों का एक्सपोजर विजिट कराना।
- महिला जनप्रतिनिधि/बालिकाओं/महिलाओं/विभिन्न स्टेक होल्डर द्वारा प्लाग रन, मैराथन, क्लीननेस ड्राइव का आयोजन।
- महिला सफाईमित्रों द्वारा प्लास्टिक जब्तीकरण में प्रतिभाग करना।
- पिंक टॉयलेट पर विशेष सफाई अभियान का आयोजन करना।
- बालिकाओं/महिलाओं द्वारा एम0आर0एफ0, वेस्ट टू वंडर पार्क एवं आर0आर0आर0 सेंटर का एक्सपोजर विजिट कराना।
- आर0आर0आर0 सेंटर में किसी स्वयं सहायता समूह को जोड़ते हुए पुराने कपड़ों से थैले बनाने का कार्य कराया जाना जिससे प्लास्टिक की थैलियों को समाप्त किया जा सके।

8. <u>चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण-</u>

1. <u>मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम-</u>
    - जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत लगभग 6,00,000 सरकारी संस्थागत प्रसव कराया जाना।
    - लगभग 8,00,000 सरकारी तथा गैर-सरकारी प्रसव कराया जाना ।
    - 15,00,000 प्रसव पूर्व जाँचें कराया जाना ।
    - प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत 24,000 कैम्प आयोजित किया जाना ।
    - उच्च जोखिम एवं जटिल प्रसव के प्रबंधन हेतु 05 अक्रियाशील प्रथम सन्दर्भन इकाईयों को कियाशील किया जाना ।
    - 1,00,000 गर्भवती महिलाओं को अल्ट्रासाउण्ड की सेवा प्रदान किया जाना ।
2. <u>बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम-</u>
    - सिक न्यू बॉर्न केयर इकाई में 12,000 बालिकाओं को लाभान्वित किया जाना ।
    - पोषण पुर्नवास केन्द्र में 2400 बालिकाओं को लाभान्वित किया जाना ।
3. <u>किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम-</u>
    - साप्ताहिक आयरन सम्पूरण कार्यक्रम (WIFS) के अर्न्तगत लगभग 63.28 लाख लाभार्थियों (10-19 वर्ष) को एनीमिया से बचाव के लिये प्रतिमाह आयरन की गोली खिलाया जाना ।
4. <u>परिवार नियोजन कार्यक्रम-</u>
    - स्थायी विधि से 30,000 महिलाओं की नसबन्दी किया जाना ।

- अस्थायी विधि (पी0पी0आई0यू0सी0डी0 / पी0ए0आई0यू0सी0डी0 / आई0यू0सी0डी0, माला-एन, छाया, अन्तरा) के माध्यम से 05 लाख महिलाओं को परिवार नियोजन की सेवा प्रदान किया जाना ।
- एन0पी0सी0डी0सी0एस0 योजना के अंतर्गत 60,000 महिलाओं में मधुमेह, उच्च रक्तचाप, स्तन कैंसर एवं सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग किया जाना ।

5. 102 एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से 16.35 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाना ।

9. <u>संस्कृति विभाग-</u>

- प्रदेश के देवी मंदिरों एवं शक्तिपीठों में सप्तमी, अष्ठमी एवं नवमी (25, 26 एवं 27 मार्च, 2026) के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन ।

10. <u>पंचायती राज विभाग-</u>

- <u>राज्य स्तरीय कार्यशाला-</u> 75 महिला हितैषी ग्राम पंचायतों की राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन।
- <u>ग्राम सभाओं / पंचायत सभाओ का आयोजन-</u> महिलाओं / स्वयं सहायता समूह की आवश्यकताओं एवं समस्याओं से सम्बन्धित गतिविधियों को वार्षिक कार्ययोजना का भाग बनाने के लिए ग्राम सभा की बैठकों का आयोजन ।
- <u>बाल सुरक्षा समिति को सक्रिय किया जाना-</u> बालिकाओं की सुरक्षा हेतु पंचायत स्तर पर बाल सुरक्षा समिति का गठन एवं जागरुकता हेतु बैठक कर समितियों को सक्रिय किया जाना ।
- <u>बालक- बालिकाओं के शौचालय की मरम्मत/जीर्णोद्धार –</u> शासकीय प्राथमिक एवं अपर/उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं ऑगनबाड़ियों में बालक- बालिकाओं के लिए पृथक-पृथक बाल मैत्री शौचालय एवं पेयजल की व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण ।
- <u>बालिका जन्म पंजीकरण अभियान-</u> अभियान चलाते हुए 0-5 वर्ष की बालिकाओं के छूटे हुए जन्म पंजीकरण को सी.आर.एस.पोर्टल के माध्यम से सुनिश्चित करना ।
- <u>महिलाओं एवं बालिकाओं का सम्मान-</u> उल्लेखनीय कार्य (शिक्षा/सामाजिक सुधार अथवा सुरक्षा) करने वाली महिलाओं / बालिकाओं को सम्मानित करना ।

11. <u>ग्राम्य विकास विभाग-</u>

- मनरेगा योजना के अन्तर्गत 10,500 कुशल महिला श्रमिकों, 24,112 अर्द्धकुशल महिला श्रमिकों, 6,44,500 महिला अकुशल श्रमिकों एवं 8450 महिला मेट को रोजगार प्रदान किया जाना ।
- मुख्यमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) के अन्तर्गत महिला मुखिया या संयुक्त रूप महिला-पुरुष के नाम से आवंटित 32,000 आवासों को पूर्ण किया जाना ।

12. <u>राजस्व विभाग-</u>

- महिला खातेदारों का वरासत दर्ज करने के उपरांत निःशुल्क खतौनी का वितरण ।
- प्रदेश की प्रत्येक तहसील में स्थापित महिला हेल्प डेस्क पर प्राप्त होने वाली शिकायतों का समयान्तर्गत गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से प्रार्थिनी को अवगत कराया जाना ।
- महिलाओं के पक्ष में स्वीकृत किये गये विभिन्न पट्टों (कृषि आवंटन, आवास आवंटन, मत्स्य पालन आवंटन व कुम्हारी कला आवंटन) का वितरण प्रत्येक माह के अन्तिम सप्ताह में कराया जाना ।

13. <u>सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग-</u>

- मिशन शक्ति के विशेष अभियान फेज-06 के अन्तर्गत महिलाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जागरुकता हेतु पम्पलेट, फोल्डर व पेस्टिंग पोस्टर की प्रतियाँ प्रकाशित/वितरित कराया जाना।
- काशी विश्वनाथ पीठ तथा श्रीराम जन्मभूमि अयोध्या में जनपदवार वितरण हेतु फोल्डर व लीफलेट का पर्याप्त मात्रा में वितरण कराया जाना ।
- 08 एफ0एम0 रेडियो एवं 30 सामुदायिक रेडियो चैनलों द्वारा तीनों टाइम बैण्ड में "मिशन शक्ति" विषयक जिंगलों का प्रसारण कराया जाना ।
- प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर के महत्त्वपूर्ण समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में मिशन शक्ति अभियान का प्रचार-प्रचार कराया जाना ।
- मिशन शक्ति से संबंधित प्रदर्शनी में महिलाओं एवं बालिकाओं को प्रोत्साहित किए जाने वाली योजनाओं को प्रदर्शित किया जाना ।
- डिजिटल मीडिया (सोशल मीडिया) के विभिन्न प्लेटफॉर्म यथा- यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि के लगभग 40 प्लेटफार्मों पर अभियान का प्रचार-प्रसार कराया जाना ।
- इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से राष्ट्रीय क्षेत्रीय टी0वी0 न्यूज चैनलों व डिजिटल सिनेमा द्वारा लघु फिल्म डॉक्यूमेंट्री निर्माण/प्रसारण व एफ0एम0 रेडियो एवं सामुदायिक रेडियो चैनलों द्वारा जिंगलों के माध्यम से प्रसारण कराया जाना ।
- प्रदेश के समस्त जनपदों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में आउटडोर मीडिया (होर्डिंग, एलईडी) के माध्यम से प्रचार-प्रसार कराया जाना ।
- विभाग में पंजीकृत सांस्कृतिक दलों को कार्यक्रम आवंटित कर प्रदेश के समस्त जनपदों में प्रचार-प्रसार कराया जाना ।
- फोल्डर/बुकलेट के माध्यम से अभियान का प्रचार-प्रसार कराया जाना ।

अतिमहत्त्वपूर्ण/प्राथमिकता

संख्या- 1/2026/6-15099/58/2025

प्रेषक,

एस0पी0 गोयल,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव,
बेसिक शिक्षा / माध्यमिक शिक्षा / उच्च शिक्षा / चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण / ग्राम्य विकास / पंचायती राज / नगर विकास / युवा कल्याण / राजस्व / महिला कल्याण / संस्कृति / सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 शासन।

2. समस्त पुलिस आयुक्त,
कमिश्नरेट, उ0प्र0।

3. समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

4. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक,
उ0प्र0।

गृह(पुलिस)अनुभाग-15 **लखनऊः दिनांक- 19 मार्च, 2026**

विषयः- प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन हेतु वासंतिक नवरात्र के पर्व पर "मिशन शक्ति" के विशेष अभियान- फेज-05 के द्वितीय चरण का शुभारम्भ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या- 620/छः-पु0-15/2025, दिनांक- 19.09.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन हेतु मिशन शक्ति के विशेष अभियान फेज-05 का दिनांक- 22.09.2025 से प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश पूर्व में निर्गत हैं। प्रदेश सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि मिशन शक्ति विशेष अभियान- फेज-05 के द्वितीय चरण को वासंतिक नवरात्र के पावन पर्व पर **दिनांक- 19.03.2026** से शुभारम्भ किया जाए।

2- यह भी सूच्य है कि मिशन शक्ति अभियान में सम्मिलित समस्त विभागों द्वारा अन्तर्विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए मिशन शक्ति के विशेष अभियान फेज- 05 के द्वितीय चरण के सफल संचालन हेतु विस्तृत कार्ययोजना (प्रति संलग्न) उपलब्ध करायी गयी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन हेतु वासंतिक नवरात्र के पावन पर्व पर मिशन शक्ति के विशेष अभियान फेज- 05 का द्वितीय चरण संलग्न कार्ययोजना के अनुरूप सफलतापूर्वक संचालन/आयोजन किया जाना सुनिश्चित किया जाए। आयोजित कार्यक्रमों से सम्बन्धित फोटो, वीडियो, विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर प्रसारित किये जाएं तथा प्रिण्ट/इलेक्ट्रानिक मीडिया से समन्वय करते हुए आवश्यक प्रचार-प्रसार करें। इसके साथ ही कमिश्नरेट/जनपद स्तर पर सम्पन्न कार्यक्रमों की पाक्षिक प्रगति रिपोर्ट महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन मुख्यालय की ई-मेल आई0डी0- 1090police@gmail.com पर उपलब्ध करायी जाए।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन प्रभावी ढंग से सुनिश्चित किया जाए।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

एस0पी0 गोयल
मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

shasanadesh.up.gov.in

संख्या एवं दिनांक तदैव ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0, शासन ।
2. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ ।
3. विशेष पुलिस महानिदेशक, कानून-व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ ।
4. अपर पुलिस महानिदेशक, अभियोजन / महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, उ0प्र0 ।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0 ।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 ।
7. समस्त जोनल, अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 ।
8. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0 ।
9. समस्त सम्बन्धित विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 ।

आज्ञा से,

मंजू लता सिंह
विशेष सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक "क"

मिशन शक्ति अभियान हेतु विभागवार प्रस्तावित कार्ययोजना / रूपरेखा
(वासंतिक नवरात्र के प्रथम दिवस- 19 मार्च, 2026 से शुभारम्भ)

1. गृह विभाग-

वासंतिक नवरात्र के पावन पर्व पर प्रथम दिवस दिनाँक- 19.03.2026 को 30 दिवस के लिए मिशन शक्ति **(फेज 05 द्वितीय चरण)** के प्रमुख कार्यक्रमों का शुभारम्भ निम्नानुसार किया जाएगा:-

- नवरात्रि में मन्दिरों, धार्मिक स्थलों, मेलों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर महिला पुलिस बल की विशेष तैनाती किया जाना।
- पूजा पण्डालों व रामनवमी में महिला चौपाल का आयोजन कर महिलाओं से सम्बन्धित सरकारी कल्याणकारी योजनाओं व हेल्पलाइन से सम्बन्धित पैम्पलेट वितरित करते हुए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना ।
- अभियान के दौरान महिलाओं में विश्वास की भावना बढ़ाने एवं उनके साथ होने वाली घटनायें यथा- छेड़खानी इत्यादि पर अंकुश लगाये जाने तथा पिंक बूथ की महत्ता एवं संवेदनशीलता के दृष्टिगत महिला बीट पुलिस अधिकारी एवं पिंक बूथ पर नियुक्त कर्मियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत प्रत्येक पिंक बूथ पर प्रतिदिन एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाये, जिसमें महिला शिक्षिका, व्यापार मण्डल, गैर सरकारी संगठन, सेल्फ हेल्प ग्रुप, समाज सेवी, स्वरोजगार इत्यादि से जुड़ी महिलाओं को एकत्रित करते हुये उनसे संवाद किया जाय। अभियान के दौरान प्रत्येक पिंक बूथ पर सहायक पुलिस आयुक्त/पुलिस क्षेत्राधिकारी द्वारा कम से कम एक बार मौजूद रहकर कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाली महिलाओं को जागरूक किया जाना ।
- वासंतिक नवरात्रि के शुभारम्भ के दिन अर्थात 19.03.2026 से मन्दिरों, सार्वजनिक स्थलों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर एण्टी रोमियो स्क्वाड द्वारा टास्क निर्धारित कर सघन अभियान चलाते हुए शोहदों के विरूद्ध मौके पर ही कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उक्त कार्य हेतु तैनात किये जाने वाले पुलिस कर्मियों की काउन्सलिंग करते हुए उन्हें जनसामान्य के साथ मर्यादित व्यवहार के लिए भी निर्देशित किया जाना।
- सभी कमिश्नरेट/जनपदों में किसी सार्वजनिक स्थान पर जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर महिला सम्बन्धी विभागों के सहयोग से एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाए, जिसमें-
  - जनपद स्तर पर बहादुरी का कार्य करने वाली महिलाओं/लड़कियों को सम्मानित किया जाना।
  - पुलिस के लिए महत्वपूर्ण सहयोग देने वाले हितधारकों/ महिला कर्मियों के द्वारा किये गये उल्लेखनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया जाना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

- स्थानीय जनप्रतिनिधियों तथा प्रेरणादायी महिलाओं की सहभागिता।
- महिलाओं एवं बच्चियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रस्तुतीकरण।

- प्रत्येक थाने में स्थापित मिशन शक्ति केन्द्रों में थाना क्षेत्र की विभिन्न वर्गों की महिलाओं को आमंत्रित कर मिशन शक्ति केन्द्र के कार्यों, उद्देश्यों तथा इस केन्द्र द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाओं के सम्बन्ध में दिन-प्रतिदिन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन
- महिलाओं के अत्यधिक आवागमन वाले महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों तथा संवेदनशील हॉट-स्पॉट्स पर पुलिस की व्यापक फुट पैट्रोलिंग तथा पीआरवी द्वारा पैट्रोलिंग।
- राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) द्वारा मिशन शक्ति अभियान से सम्बन्धित फोल्डर्स एवं पैम्पलेट्स का रेलवे प्लेटफार्म/स्टेशन एवं ट्रेनों में विशेषकर महिला यात्रियों को वितरित किया जाना।
- मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत व वार्ड में कार्यक्रम आयोजित किया जाना, जिसमें बीट पुलिस अधिकारी, आँगनबाड़ी कार्यकत्री, बीसी सखी, लेखपाल, ए0एन0एम0, आशा वर्कर, ग्राम पंचायत अधिकारी, रोजगार सेवक आदि की प्रत्येक दिन उनकी उपस्थिति उस ग्राम/न्याय पंचायत व वार्ड में सुनिश्चित हो । आयोजन में ग्राम प्रधानों/सभासदों से भी समन्वय कर महिलाओं के साथ संवाद स्थापित करें, उनकी समस्याओं को समझते हुए उनके अधिकारों एवं सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराया जाना । इस हेतु पुलिस आयुक्त/जिला अधिकारी/पुलिस अधीक्षक के स्तर से यह सुनिश्चित किया जाना कि प्रत्येक कार्यदिवस में महिला पुलिस बीट अधिकारियों एवं अन्य सरकारी सेवकों द्वारा निर्धारित ग्राम सभा/नगरीय वार्ड में भ्रमण/उपरोक्त कार्यो को सम्पादित किया जाय, जिसके अन्तर्गत निम्न कार्यवाही कराया जाना -
    - प्रत्येक ग्राम पंचायत व वार्ड में कार्यक्रम आयोजित करना।
    - महिला केन्द्रित विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करना।
    - योजनाओं के लाभ में आ रही समस्याओं का निस्तारण कर कार्य को आगे बढ़ाना।
    - कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं से आवेदन लेकर उनका पंजीकरण कराना और योजनाओं से जोड़ना।
    - महिला सशक्तीकरण जन-जागरुकता कार्यक्रम पूरे प्रदेश के सभी वार्ड और ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित करना।
    - हेल्प लाइन नम्बरों यथा- 112, 1090, 181, 1098, 1930, 1076 की जानकारी देना तथा विभिन्न फोरम जैसे जनसुनवाई पोर्टल, स्थानीय थाने की महिला हेल्प डेस्क, जिला संरक्षण अधिकारी, राष्ट्रीय/राज्य महिला आयोग, जनपद न्यायालय में स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आदि की जानकारी प्रदान कराना।
    - महिलाओं एवं बच्चों से सम्बन्धित समस्याओं एवं मुद्दों पर समझ बनाना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

- महिलाओं एवं बच्चों से सम्बन्धित विभिन्न प्रमुख कानूनों यथा घरेलू हिंसा से संरक्षण, दहेज प्रतिषेध, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण, अनैतिक व्यापार निवारण, पॉक्सो ऐक्ट, बाल विवाह प्रतिषेध, बालश्रम एवं भारतीय न्याय संहिता में महिलाओं की गरिमा के विरूद्ध प्रमुख अपराध आदि की जानकारी देना।
- मौके पर समस्याओं का निस्तारण।

- समस्त सर्किल स्तर पर पुलिस कर्मियों की सुविधा हेतु शिशु गृह (Creche) की स्थापना।
- बीट पुलिस अधिकारी द्वारा बीट क्षेत्र में स्थित स्कूल/कालेजों में बालिकाओं हेतु अलग से शौचालय व्यवस्था है अथवा नहीं इसके सम्बन्ध में जानकारी कर स्थानीय प्रशासन स्कूल/कालेज प्रबन्धक से समन्वय स्थापित कर नवीन शौचालय की व्यवस्था हेतु प्रेरित करना।
- जनपद में संचालित नारी संरक्षण गृह व महिला से सम्बन्धित अन्य आश्रय गृहों में उपजिलाधिकारी एवं क्षेत्राधिकारी व महिला अधिकारी संयुक्त रूप से जाकर उनमें आवासित महिलाओं एवं बालिकाओं से वार्ता करेंगे एवं आवश्यक विधिक सहायता उपलब्ध कराया जाना।
- जनपद स्थित कारागार में उपजिलाधिकारी एवं क्षेत्राधिकारी व महिला अधिकारी संयुक्त रूप से जाकर निरूद्ध महिलाओं /बालिकाओं से वार्ता करेंगे एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से समन्वय स्थापित कर निःशुल्क विधिक सहायता।
- परिवार न्यायालय से समन्वय स्थापित कर घरेलू विवाद एवं गुजारा भत्ता के प्रकरणों से सम्बन्धित मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत सम्मनों की सूची प्राप्त कर निर्गत सम्मनों का शत प्रतिशत तामीला कराया जाना।
- महिला बीट अधिकारियों द्वारा पुलिस तक न पहुंचने वाली परन्तु घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं का चिन्हीकरण करना ताकि सही समय पर उचित काउन्सलिंग/विधिक कार्यवाही/नियमित निगरानी।
- थानों में पंजीकृत महिला सम्बन्धी अपराधों में जेल से रिहा अभियुक्तों का सत्यापन व निरोधात्मक कार्यवाही।
- जिलाधिकारी तथा पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में महिला सुरक्षा सम्बन्धी जनपदीय कान्फ्रेंस का आयोजन जिसमें-
  - जनपद के बड़े चिकित्सालय (सरकारी/प्राइवेट), बड़े शिक्षण संस्थान (विश्वविद्यालय से लेकर स्कूल/कालेज स्तर तक), इण्डस्ट्रियल पार्क/ऐसे उद्यमी जिनके प्रतिष्ठानों में जहां बड़ी संख्या में महिलायें कार्यरत हैं को आमंत्रण।
  - महिला छात्रावासों के प्रबन्धक, मुख्य बाजारों के व्यापार मण्डल के प्रतिनिधियों/सदस्यों को आमंत्रण।
  - प्रतिष्ठानों के अन्दर तथा आसपास महिला सुरक्षा सम्बन्धी चुनौतियों का चिन्हीकरण तथा सुरक्षा में सुधार के लिए सुझाव मांगते हुए यथासम्भव इन सभी चुनौतियों/सुझावों का निराकरण।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

- महिला सुरक्षा की जागरूकता हेतु जनपद स्तर पर एक दौड़ (Run for Empowerment) कार्यक्रम का आयोजन जिसमें-
  - महिलाओं/बच्चियों की सहभागिता अधिकतम हो।
  - स्थानीय जनप्रतिनिधियों, महत्वपूर्ण अधिकारियों के साथ क्षेत्र की प्रेरणादायी एवं सम्भ्रान्त महिलाओं को भी आमंत्रण।
  - दौड़ की समाप्ति पर महिला सुरक्षा सम्बन्धी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन।
- महिला अपराधों से सम्बधित संवेदनशील स्थानों/हॉटस्पाट पर सीसीटीवी कैमरों का अधिष्ठापन। पूर्व में स्थापित सीसीटीवी कैमरों की क्रियाशीलता की चेंकिग तथा निष्क्रिय कैमरों को क्रियाशील कराया जाना।
- राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) द्वारा मिशन शक्ति अभियान से सम्बन्धित फोल्डर्स एवं पैम्फलेट्स का रेलवे प्लेटफार्म/स्टेशन एवं ट्रेनों में विशेषकर महिला यात्रियों को वितरित कराया जाना।
- सार्वजनिक स्थलों पर स्टंटबाजी करने वालों के विरूद्ध मौके पर ही सख्त वैधानिक कार्यवाही की जाय।
- महिला अपराध के जनपदीय नोडल आफिसर/महिला राजपत्रित अधिकारी के नेतृत्व में जनपद के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के प्रधानाचार्य, प्रत्येक संस्था से 02-02 शिक्षकों व अभिभावकों को आमंत्रित कर सुरक्षा सम्बन्धी जागरूकता कार्यकम का आयोजन।
- महिला बीट पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा समस्त स्कूलों/कालेजों में जाकर महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन के द्वारा उपलब्ध करायी गयी लघु फिल्मों का प्रदर्शन एवं महिलाओं से सम्बन्धित सरकारी कल्याणकारी योजनाओं व हेल्पलाइन नम्बर से सम्बन्धित पैम्पलेट/फोल्डर वितरित करते हुए व्यापक जन-जागरूकता एवं प्रचार-प्रसार।
- महिला अपराधों में संलिप्त अपराधियों पर जीरो टॉलरेन्स की नीति अपनाते हुए सख्त कार्यवाही की जाए तथा महिला अपराधों के सम्बन्ध अभियोजन की प्रक्रिया में त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करना।

<u>एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग-</u>

- ए0एच0टी0 थाना व अन्य विभागों के समन्वय से बाल विवाह, बाल श्रम, भिक्षावृत्ति व अन्य बाल अपराधों के सम्बन्ध में विशेषकर ग्रामीण एवं मलिन बस्तियों में जागरूकता कार्यक्रम।
- घरेलू यौन अपराध एवं होटल, स्पा, ब्यूटी पार्लर, कालसेण्टर आदि में अवैध गतिविधियों के सम्बन्ध में जानकारी कर कार्यवाही।
- बीट क्षेत्र में यदि बाहर से कोई महिला/बच्चा आकर निवास कर रहा/रही हो अथवा क्षेत्र की महिला/बच्चा गायब हो उसके सम्बन्ध में जानकारी कर आवश्यक कार्यवाही।
- उ0प्र0 विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिशेध अधिनियम-2021(यथा संशोधित 2024), से सम्बन्धित सन्दिग्ध प्रकरणों/व्यक्तियों को चिन्हित किया जाए तथा बहलाई-फुसलाई

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

गयी/प्रताड़ित/पीड़ित महिलाओं/ बालिकाओं को सुरक्षा प्रदान करते हुए आरोपियों के विरूद्ध विधि संगत कार्यवाही ।

- नये डार्क स्पॉट्स, जहां महिलाओं का आवागमन अधिक रहता है, ऐसे स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा व स्ट्रीट लाइट्स लगवाने के लिए लोगों को प्रेरित करना।
- जुआ, शराब एवं अन्य मादक पदार्थों के विक्री वाले स्थानों, चेन स्नेचिंग के सम्भावित स्थानों एवं ऐसे सुनसान स्थान जहां महिला अपराध की सम्भावना बनी रहती है के बारे में जानकारी व आवश्यक कार्यवाही।
- कमिश्नरेट/जनपद स्तर पर सम्पन्न कार्यक्रमों की प्रतिदिन की सूचना/प्रगति रिपोर्ट महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन मुख्यालय के मिशन शक्ति पोर्टल पर अपलोड करना।

<u>अन्य महत्वपूर्ण कार्यवाही-</u>

- मिशन शक्ति अभियान के शुभारम्भ के अवसर पर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में 19 मार्च 2026 को महिला पुलिस कर्मियों द्वारा बाइक रैली ।
- महिलाओं एवं बालिकाओं के उत्पीड़न से सम्बन्धित स्थापित वीमेन पावर लाइन-1090 तथा मिशन शक्ति केन्द्र का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए अधिक से अधिक महिलायें एवं बालिकाओं को इस सुविधा का लाभ प्राप्त कराया जाना।
- कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने हेतु विभिन्न माध्यमों जैसे- लघु फिल्म, नुक्कड़ नाटक, ध्वनि संदेश, संवाद, सूचनापरक पुस्तिका, सूचनापरक पैम्पलेट आदि का प्रयोग किया जाए तथा सरकारी योजनाओं के सम्बन्ध में पैम्पलेट का वितरण।
- आयोजित कार्यक्रमों से सम्बन्धित फोटो, वीडियो विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर प्रसारित किये जाये तथा प्रिन्ट/इलेक्ट्रानिक मीडिया से समन्वय करते हुए आवश्यक प्रचार प्रसार ।
- 08 महानगरों (लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, कानपुर नगर व मेरठ) में डिजिटल स्क्रीन के माध्यम से महिला सुरक्षा से सम्बन्धित लघु फिल्मों का प्रदर्शन।

2. <u>महिला एवं बाल विकास विभाग-</u>

जनपद व ब्लॉक स्तर पर ज़िला प्रोबेशन अधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकारी के नेतृत्व में हब फॉर वूमेन इम्पावरमेन्ट, जिला बाल संरक्षण ईकाई, चाइल्ड हेल्पलाइन, वन स्टॉप सेन्टर, सी0डी0पी0ओ0, सुपरवाइज़र व स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से गतिविधियों का संचालन किया जायेगा तथा ग्राम स्तर पर आँगनबाडी कार्यकत्रियों तथा सहायिकाओं का सहयोग लिया जायेगा ।

- **<u>साइकलोथॉन (मेगा इवेन्ट)-</u>** जनपद स्तर पर जिलाधिकारी, जनपद के प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा नामित प्रशासनिक अधिकारी एवं ग्राम स्तर ग्राम प्रधान के नेतृत्व में महिलाओं और बच्चों संबंधी राज्य/जनपद स्तरीय संकेतकों यथा जनसंख्या अनुपात, जन्म मृत्यु दर, लिंगानुपात, स्कूल ड्रॉपआउट, बाल विवाह, लैंगिक शोषण, संस्थागत प्रसव, साक्षरता दर तथा महिलाओं और बच्चों के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रति होने वाली हिंसा तथा विभागीय योजनाओं आदि को समाज के समक्ष रखते हुए उनके सुधार हेतु जन-जागरूकता करना।

- **<u>सार्वजनिक स्थलों पर जन-जागरूकता-</u>** नवरात्र के अवसर पर होने वाले आयोजनों बाजारों में मोबाइल वैन, ने कैनोपी, स्टॉल स्थापित करते हुए महिला केन्द्रित योजनाओं यथा- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेन्टर, 181 महिला हेल्पलाइन, निराश्रित महिला योजना, शक्ति सदन आदि योजनाओं का प्रचार प्रसार करना। इसके अतिरिक्त महिलाओं व बालिकाओं को संरक्षण प्रदान करने वाले प्रमुख कानूनों यथा- घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष), अधिनियम, 2013, दहेज निषेध अधिनियम, 1961 (संशोधित 1986) तथा गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के प्रमुख प्राविधानों के बारे में जागरूक किया जाना।
- **<u>ड्राइविंग माय ड्रीम्स (मेगा इवेन्ट)-</u>** प्रत्येक जनपद द्वारा कम से कम 100 महिलाओं एवं बालिकाओं को न्यूनतम 01 माह के ड्राइविंग कोर्स में प्रशिक्षित करते उनके ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया जाना।
- **<u>कन्या पूजन (मेगा इवेन्ट)-</u>** समाज में बालिकाओं के जन्म के प्रति सोच में सकारात्मक बदलाव के उद्देश्य से अष्टमी/नवमी के अवसर पर प्रत्येक ब्लॉक में जिलाधिकारी / जनप्रतिनिधियों / प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में कन्या पूजन किया जाना।
- **<u>पर्सनल सेफ्टी अवेयरनेस-</u>** वार्ड/ब्लॉक एवं ग्राम स्तर पर बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण विषयों पर महिलाओं और बच्चों को जागरूक किया जाना एवं विद्यालयों में भी उक्त विषय पर विशेष रूप से न्यूनतम 03 सत्रों का आयोजन किया जाना।
- **<u>'बाल विवाह को ना' – चैम्पियंस का सम्मान-</u>** जनपद स्तर पर रोके गये बाल विवाहों में शामिल बालिकाओं के सम्मान में विशेष समारोह का आयोजन कर उनके सामने आई चुनौतियों पर चर्चा-परिचर्चा किया जाना।
- **<u>सेल्फ डिफेंस कार्यशाला-</u>** समस्त बाल देखरेख संस्थाओं में सेल्फ डिफेन्स कार्यशाला का आयोजन किया जाना।
- **<u>स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिविर</u>**- चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सहयोग से महिलाओं एवं बच्चों हेतु चिकित्सा जाँच शिविरों का आयोजन किया जाना।
- **<u>पार्टनर्स फॉर इम्पावरमेंट ऑफ वूमेन एण्ड चिल्ड्रेन-</u>** निदेशालय स्तर से समस्त जनपदों द्वारा वन स्टॉप केन्द्र, चाइल्ड हेल्पलाइन, बाल कल्याण समिति तथा बाल देखरेख संस्थाओं के संपर्क में आने वाले बच्चों तथा महिलाओं की शिक्षा, खेलकद, परामर्श, कौशल विकास, वैयक्तिक विकास आदि के सम्बन्ध में स्थानीय विश्वविद्यालय/कालेज के साथ डिजिटल एम0ओ0यू0 साइन करने हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया जाना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

- **<u>जागरूकता चौपाल-</u>** ग्राम स्तर पर घरेलू हिंसा/दहेज उन्मूलन विषय पर अभिमुखीकरण का आयोजन किया जाना ।
- **<u>ऑपरेशन मुक्ति-</u>** अन्य विभागों के समन्वय से बाल विवाह तथा बाल श्रम के विरूद्ध 10 दिवसीय जागरूकता एवं रेस्क्यू हेतु वृहद अभियान का आयोजन किया जाना ।
- **<u>अनन्ता (प्रेरक महिलाओं तथा बालिकाओं की पहचान व सम्मान)-</u>** समाज में बदलाव हेतु प्रयासरत महिलाओं की प्रेरक कहानियों को जनपद स्तर पर विभिन्न माध्यमों जैसे - टी0वी0, रेडियो, एफ0एम0, कम्यूनिटी-रेडियो, टॉक शो, गोष्ठियों, अखबार आदि के माध्यम से जन-जन तक पहुँचाया जाना ।
- **<u>हक की बात जिलाधिकारी के साथ (मेगा इवेन्ट)-</u>** जनपद स्तर पर जिलाधिकारी के साथ लैंगिक हिंसा, लैंगिक असमानता, घरेलू हिंसा, कन्या भ्रूण हत्या, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न तथा दहेज हिंसा आदि की पीड़ित महिलाओं के संरक्षण, सुरक्षा तंत्र, सुझावों तथा सहायता हेतु न्यूनतम 02 घण्टे के पारस्परिक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाना ।
- **<u>स्वावलम्बन कैम्प (मेगा इवेन्ट)-</u>** तहसील स्तर पर संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर ही स्वावलंबन कैम्प आयोजित करते हुए, केन्द्र व प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं यथा- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (कोविड व सामान्य), निराश्रित महिला पेंशन योजना, स्पॉन्सरशिप योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आदि में लाभान्वित किये जा सकने वाले परिवारों, महिलाओं तथा बच्चों के आवेदनों की समस्त कार्यवाही इन वन विन्डो-कैम्पस के माध्यम से पूर्ण किया जाना ।
- **<u>कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम, 2013 पर अभिमुखीकरण-</u>** समस्त जनपदों में कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीडन (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 के अंतर्गत गठित स्थानीय व आंतरिक परिवाद समितियों का प्रशिक्षण व अभिमुखीकरण का आयोजन किया जाना ।
- **<u>ग्राम बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति बैठक-</u>** प्रत्येक ग्राम सभा में मिशन वात्सल्य के अंतर्गत गठित ग्राम बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठकों का आयोजन करते हुए बच्चों के मुद्दों पर चर्चा किया जाना ।
- **<u>सोशल मीडिया कैम्पेन-</u>** कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं और बच्चों संबंधी राज्य/जनपद स्तरीय संकेतकों यथा- जनसंख्या अनुपात, जन्म/मृत्यु दर, लिंगानुपात, स्कूल ड्रॉपआउट, बाल विवाह, लैंगिक शोषण, संस्थागत प्रसव, साक्षरता दर तथा महिलाओं और बच्चों के प्रति होने वाली हिंसा आदि को समाज के समक्ष रखते हुये उनके सुधार हेतु सोशल मीडिया के माध्यम से जन-जागरूकता हेतु प्रयास किया जाना।
- **<u>नुक्कड़ नाटक-</u>** लैंगिक समानता विषय पर नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया जाना ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

- **<u>टॉक शो विद आइडियल्स-</u>** राजकीय विद्यालयों की कक्षा 9 से उपर व विश्वविद्यालय स्तर तक की बालिकाओं के साथ संवाद करते हुए जनपद स्तर पर अपने जीवन में सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ने वाली महिलाओं के साथ न्यूनतम 2 घण्टे के टॉक शो का आयोजन किया जाना।
- **<u>एक दिन की जिलाधिकारी बालिकाओं तथा महिलाओं द्वारा सांकेतिक भूमिका निर्वहन कार्यक्रम (मेगा इवेन्ट)-</u>** देश-प्रदेश के संवैधानिक व प्रशासनिक पदों पर पहुँचने की प्रेरणा देने हेतु जनपद स्तर पर समस्त महिलाओं तथा मेधावी बालिकाओं को एक दिन की सांकेतिक "जिलाधिकारी" नियुक्त किया जाना ।
- **<u>कन्या जन्मोत्सव-</u>** ब्लॉक स्तर पर किसी भी राजकीय अस्पताल सी.एच.सी./पी.एच.सी. में जन्म लेने वाली बालिकाओं के जन्मोत्सव का आयोजन किया जाना एवं जनपद में जन्म लेने वाली बालिकाओं की संख्या के बराबर वृक्षारोपण कर बालकों तथा पुरूषों को वृक्षों के संरक्षण का दायित्व सौंपा जाना ।
- **<u>शक्ति संवाद</u>**- ब्लॉक स्तर पर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोविड व सामान्य, निराश्रित महिला पेंशन योजना, स्पॉन्सरशिप योजना की लाभार्थी महिलाओं/बालिकाओं का जिलाधिकारी तथा जिलाधिकारी द्वारा नामित प्रशासनिक अधिकारियों के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाना ।
- **<u>व्यक्तिगत स्वच्छता संवाद</u>**- महिला एवं बाल देखरेख संस्थाओं में संवासियों की व्यक्तिगत स्वच्छता (Personal/Menstrual Hygiene) हेतु विषय-विशेषज्ञों के माध्यम सें जागरूकता संवाद का आयोजन किया जाना ।

3. <u>युवा कल्याण विभाग-</u>

- प्रदेश के समस्त जनपदों के 826 विकास खण्डों में जनजागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना।
- प्रदेश के 123 विभागीय स्टेडियमों में महिलाओं को खेल, फिटनेस एवं आत्मरक्षा की सामान्य जानकारी प्रदान करना ।

4. <u>बेसिक शिक्षा विभाग-</u>

- समस्त समस्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कम्पोजिट विद्यालय तथा केजीबीवी में "मिशन शक्ति' विशेष अभियान पर आधारित पोस्टर बनाना जो नवदुर्गा के नौ रुपों पर आधारित हो तथा उसपर चर्चा करना ।
- समस्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कम्पोजिट विद्यालय तथा केजीबीवी में मां दुर्गा के नवरुपों पर आधारित नुक्कड़ नाटको मंचन, रैली का आयोजन जिसमें तख्तियो परं हेल्प लाइन नम्बर, बाल अधिकार आदि के स्लोगन लिखे हो और बच्चे इनसे संबंधित नारे बोलते हुए जन जागरुकता ।
- समस्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कम्पोजिट विद्यालय तथा केजीबीवी में विद्यालय, विकास खण्ड, तहसील जिला तथा मण्डल स्तर पर बालिकाओं को प्रमुख पदों पर एक दिन आसीन करते हुये एक्सपोजर देना (यथा एक दिन का जिलाधिकारी) ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

- समस्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कम्पोजिट विद्यालय तथा केजीबीवी में मीना दिवस का आयोजन करना, बालिकाओं को निडर फिल्म दिखाकर चर्चा, रैली तथा नुक्कड़ नाटकों का आयोजन जिसमें जन प्रतिनिधियों एवं अभिभावकों को आमन्त्रित करना ।
- समस्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कम्पोजिट विद्यालय तथा केजीबीवी की बालिकाओं द्वारा बैंक का भ्रमण एवं खाता संचालन प्रक्रिया सम्बन्धी जागरूकता तथा सरकारी हॉस्पिटल का भ्रमण एवम पर्चा बनवाने, संबंधित डॉक्टर को दिखाने व विभिन्न तरह की जांच करवाने की जानकारी।
- समस्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कम्पोजिट विद्यालय तथा केजीबीवी में समस्त जनपद, तहसील, ब्लॉक स्तरीय महिला अधिकारियों तथा ख्याति प्राप्त महिलाओं द्वारा विद्यालय का भ्रमण एवं बालिकाओं से संवाद, आत्मरक्षा प्रशिक्षण के सत्र संचालन तथा सेल्फ डिफेंस क्लब का गठन ।
- समस्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कम्पोजिट विद्यालय तथा केजीबीवी में की बालिकाओं द्वारा निकट के थाना या कोतवाली का भ्रमण, हेल्प लाइन नंबर व FIR लिखने एवं गिरफ्तारी के समय व अन्य नियम के बारे मे बच्चों को बताना, साइबर क्राइम व धोखाधडी के बारे में सचेत करना ।
- समस्त केजीबीवी में विभिन्न सामाजिक मुद्दों जैसे जेंडर स्टेरियो टाइप, बाल विवाह, महिलाओं के लिए सरकारी योजनाओं पर नुक्कड नाटक ।

5. **<u>माध्यमिक शिक्षा विभाग-</u>**

- माध्यमिक विद्यालयों, जिला तथा मण्डल स्तर पर बालिकाओं को प्रमुख प्रशासनिक पदों पर 01 दिन आसीन करते हुए एक्सपोजर करना ।
- स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर का आयोजन, महिला स्वास्थ्य पर चर्चा, एन्सीनेटर व वेण्डिंग मशीन के प्रयोग की जानकारी प्रदान कराया जाना ।
- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना, उज्ज्वला योजना, वन स्टोप सेन्टर, पोषण योजना, पी0एम0 स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना, महिला ई-हाट योजना आदि के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान कराना ।
- आपातकालीन सहायता हेतु चाइल्ड हेल्पलाइन- 1098, महिला हेल्पलाइन- 181 / 1090, पुलिस कन्ट्रोल रूम- 112, एम्बुलेंस- 108, नजदीकी थाने के नम्बर की पूरी जानकारी सहित वॉल राइटिंग कराया जाना ।
- विभिन्न क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त स्थानीय महिलाओं को विद्यालय में आमंत्रित करना, पाक्सो एक्ट-2012, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम-2005 आदि कानूनों का जानकारी प्रदान किया जाना।

6. **<u>उच्च शिक्षा-</u>**

- प्रदेश के उच्च शिक्षा संस्थानों में महिला सशक्तिकरण से सम्बन्धित काव्यपाठ, स्लोगन निर्माण, निबंध, गीत एवं नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जाना ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

- भारत की सशक्तिकरण की प्रतीक महिलाओं यथा- वीरांगनाएं, कवियित्रियाँ, स्वतन्त्रता सेनानी, उद्यमी एवं अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिलाओं के जीवन चरित्र पर आधारित व्याख्यान का आयोजन किया जाना।
- प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान में माह में एक दिन स्वास्थ्य परीक्षण शिविर तथा मानसिक स्वास्थ्य पर आधारित काउंसिलिंग की व्यवस्था किया जाना, जिसमें स्वास्थ्य परीक्षक एवं काउंसलर का महिला होना आवश्यक है ।
- उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्राओं के कैरियर एवं कौशल विकास हेतु समिति का गठन अनिवार्य रूप से किया जाना, जिसके सदस्यों में महिला सदस्यों का बहुमत होना अनिवार्य है ।
- प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थानों में महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाये जाने हेतु वित्तीय साक्षरता के लिए संगोष्ठी / सेमिनार का आयोजन कराया जाना ।
- छात्राओं को सुप्रीम कोर्ट की विशाखा गाइडलाइन्स के अनुसार कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर रोक लगाने सम्बन्धी अवांछनीय व्यवहारों के प्रति जागरुक करनाः-

  (क) शारीरिक सम्पर्क और प्रगति ।

  (ख) यौन सम्बन्धी मांग एवं अनुरोध ।

  (ग) यौन रंजित टिप्पणियाँ ।

  (घ) अश्लील साहित्य दिखाना ।

  (ङ) यौन प्रकृति का कोई अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर मौखिक व्यवहार ।
- प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में एंटी रैगिंग महिला उत्पीड़न निवारण समितियों को सक्रिय बनाना तथा छात्राओं की समस्याओं का निराकरण करना।
- भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा संचालित हेल्पलाइन नंबर (112, 1090, 181 एवं 108) का व्यापक प्रचार-प्रसार एवं जागरूकता शिविर का आयोजन करना।
- प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में महाविद्यालय स्तर पर महिला हेल्प डेस्क का सक्रिय क्रियान्वयन किया जाना।
- प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जाकर महिला स्वावलम्बन हेतु सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान किया जाना ।
- प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों की छात्र–छात्राओं द्वारा (महाविद्यालय में संचालित एनएसएस, रोवर्स रेंजर्स यूनिटों को वरीयता दी जाये) विशेष ग्राम/मोहल्ला गोद लेकर मिशन शक्ति की गतिविधियों की पहुंच सुनिश्चित किया जाना।
- प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में आत्मरक्षा प्रशिक्षण (जूडो कराटे, ताइक्वांडो आदि) का आयोजन किया जाना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

- प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में डिजिटल साक्षरता तथा साइबर सुरक्षा संबंधी कार्यशाला आयोजित कराया जाना।
- प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में साइबर सेल विधि विभाग जिला स्तरीय समितियों से समन्वय स्थापित कर वर्चुअल सेमिनार, वेबिनार व डिजिटल प्रतियोगिताओं द्वारा साइबर सुरक्षा, डिजिटल अरेस्ट व डिजिटल फ्रॉड के प्रति जागरूक किया जाना।
- प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में मिशन शक्ति के अन्तर्गत आयोजित विशिष्ट व प्रेरक गतिविधियों को नियमित रूप से उच्च शिक्षण संस्थानों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे – यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक एवं महाविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कराया जाना ।

7. <u>नगर विकास विभाग-</u>

- महिला सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु सभी नगर निकायों में स्थापित की गई मिशन शक्ति हेल्प डेस्क के माध्यम से महिलाओं द्वारा की जा रही गृह टैक्स/सीवर टैक्स/जल टैक्स एवं सफाई से संबंधित समस्याओं का तत्काल निस्तारण किया जाना। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाते हुए विद्यालय, महाविद्यालय, बाजार व सार्वजनिक स्थलों पर निगरानी सुदृढ़ करना एवं हेल्पलाइन नम्बर (1090, 112) को अधिक प्रभावी बनाने हेतु इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करना।
- महिला सशक्तिकरण हेतु स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण, नारी उद्यमिता को प्रोत्साहन एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन मार्केटिंग व सेल्फ-एम्प्लॉयमेंट प्रदान किया जाना।
- महिलाओं हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही कार्यक्रमों व योजनाओं की जानकारी प्रदान करने हेतु जागरूकता रैली, नाटक व प्रदर्शनी तथा सोशल मीडिया अभियान द्वारा विद्यालय, महाविद्यालय एवं निकाय स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना।
- प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण हेतु नगरीय निकाय कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करते हुए आत्मरक्षा शिविर एवं कानूनी अधिकारों/योजनाओं पर कार्यशालाएं आयोजित किया जाना।
- शक्ति रसोई की संख्याओं को बढ़ाना।
- महिलाओं द्वारा संचालित वेंडिंग जोन की स्थापना करना।
- अमृत योजना अंतर्गत वाटर टेस्टिंग, रिपेयर और रेवेन्यू कलेक्शन में 'अमृत मित्र' के नाम से महिलाओं को नियोजित करना।
- स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से एम0आर0एफ0 सेंटर का संचालन कराया जाना।

<u>उक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्यों को भी किया जा सकता है:-</u>

- प्रत्येक निकाय में महिलाओं की सुविधाओं हेतु हेल्प डेस्क द्वारा महिलाओं की सहायतार्थ, गृहकर, जलकर, जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र का कार्य करना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

- महिला सफाईमित्रों को पी0पी0 किट प्रदान करना।
- महिला सफाईमित्रों का सम्मान समारोह/भोज का आयोजन किया जाना।
- महिला सफाईमित्रों का हेल्थ चेकअप कराना।
- महिला सफाईमित्रों द्वारा झाड़ू लगाने के उपरांत महिला चालकों द्वारा ही एम0आर0एफ0 पर ले जाना।
- निकायों में महिलाओं द्वारा किये जा रहे होम कम्पोस्टिंग को निकाय द्वारा पुरस्कृत किया जाना।
- बालिका/महिला को एक दिन हेतु अधिशासी अधिकारी/जोनल अधिकारी इत्यादि की जिम्मेदारी का अहसास कराना।
- महिलाओं द्वारा डोर-टू-डोर कैम्पेन/सोर्स सेग्रीग्रेशन के प्रति निकायों में जागरूक करना।
- महिला सफाईमित्रों द्वारा 1533/14420 हेतु जागरूकता रैली का आयोजन करना।
- बालिकाओं/महिलाओं द्वारा वाल पेंटिंग, पौधारोपण, गोष्ठी का आयोजन करना।
- बालिकाओं/महिलाओं द्वारा रंगोली, मेहंदी कम्पटीशन का आयोजन करना।
- बालिकाओं/महिलाओं द्वारा पोस्टर, स्कूलों में प्रदर्शनी (रिसाइक्लिंग प्रोडक्ट/वेस्ट मटेरियल) का आयोजन करना।
- महिला सफाईमित्रों का एक्सपोजर विजिट कराना।
- महिला जनप्रतिनिधि/बालिकाओं/महिलाओं/विभिन्न स्टेक होल्डर द्वारा प्लाग रन, मैराथन, क्लीननेस ड्राइव का आयोजन।
- महिला सफाईमित्रों द्वारा प्लास्टिक जब्तीकरण में प्रतिभाग करना।
- पिंक टॉयलेट पर विशेष सफाई अभियान का आयोजन करना।
- बालिकाओं/महिलाओं द्वारा एम0आर0एफ0, वेस्ट टू वंडर पार्क एवं आर0आर0आर0 सेंटर का एक्सपोजर विजिट कराना।
- आर0आर0आर0 सेंटर में किसी स्वयं सहायता समूह को जोड़ते हुए पुराने कपड़ों से थैले बनाने का कार्य कराया जाना जिससे प्लास्टिक की थैलियों को समाप्त किया जा सके।

8. <u>चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण-</u>

1. <u>मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम-</u>
   - जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत लगभग 6,00,000 सरकारी संस्थागत प्रसव कराया जाना।
   - लगभग 8,00,000 सरकारी तथा गैर-सरकारी प्रसव कराया जाना ।
   - 15,00,000 प्रसव पूर्व जाँचें कराया जाना ।
   - प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत 24,000 कैम्प आयोजित किया जाना।
   - उच्च जोखिम एवं जटिल प्रसव के प्रबंधन हेतु 05 अक्रियाशील प्रथम सन्दर्भन इकाईयों को कियाशील किया जाना ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

- 1,00,000 गर्भवती महिलाओं को अल्ट्रासाउण्ड की सेवा प्रदान किया जाना ।

2. <u>बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम-</u>

- सिक न्यू बॉर्न केयर इकाई में 12,000 बालिकाओं को लाभान्वित किया जाना ।
- पोषण पुर्नवास केन्द्र में 2400 बालिकाओं को लाभान्वित किया जाना ।

3. <u>किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम-</u>

- साप्ताहिक आयरन सम्पूरण कार्यक्रम (WIFS) के अन्तर्गत लगभग 63.28 लाख लाभार्थियों (10-19 वर्ष) को एनीमिया से बचाव के लिये प्रतिमाह आयरन की गोली खिलाया जाना ।

4. <u>परिवार नियोजन कार्यक्रम-</u>

- स्थायी विधि से 30,000 महिलाओं की नसबन्दी किया जाना ।
- अस्थायी विधि (पी0पी0आई0यू0सी0डी0 / पी0ए0आई0यू0सी0डी0 / आई0यू0सी0डी0, माला-एन, छाया, अन्तरा) के माध्यम से 05 लाख महिलाओं को परिवार नियोजन की सेवा प्रदान किया जाना ।
- एन0पी0सी0डी0सी0एस0 योजना के अंतर्गत 60,000 महिलाओं में मधुमेह, उच्च रक्तचाप, स्तन कैंसर एवं सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग किया जाना ।

5. 102 एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से 16.35 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाना ।

9. <u>संस्कृति विभाग-</u>

- प्रदेश के देवी मंदिरों एवं शक्तिपीठों में सप्तमी, अष्ठमी एवं नवमी (25, 26 एवं 27 मार्च, 2026) के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन ।

10. <u>पंचायती राज विभाग-</u>

- <u>राज्य स्तरीय कार्यशाला-</u> 75 महिला हितैषी ग्राम पंचायतों की राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन।
- <u>ग्राम सभाओं / पंचायत सभाओ का आयोजन-</u> महिलाओं / स्वयं सहायता समूह की आवश्यकताओं एवं समस्याओं से सम्बन्धित गतिविधियों को वार्षिक कार्ययोजना का भाग बनाने के लिए ग्राम सभा की बैठकों का आयोजन ।
- <u>बाल सुरक्षा समिति को सक्रिय किया जाना-</u> बालिकाओं की सुरक्षा हेतु पंचायत स्तर पर बाल सुरक्षा समिति का गठन एवं जागरुकता हेतु बैठक कर समितियों को सक्रिय किया जाना ।
- <u>बालक- बालिकाओं के शौचालय की मरम्मत/जीर्णोद्धार –</u> शासकीय प्राथमिक एवं अपर/उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं आँगनबाड़ियों में बालक- बालिकाओं के लिए पृथक-पृथक बाल मैत्री शौचालय एवं पेयजल की व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण ।
- <u>बालिका जन्म पंजीकरण अभियान-</u> अभियान चलाते हुए 0-5 वर्ष की बालिकाओं के छूटे हुए जन्म पंजीकरण को सी.आर.एस.पोर्टल के माध्यम से सुनिश्चित करना ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

- महिलाओं एवं बालिकाओं का सम्मान- उल्लेखनीय कार्य (शिक्षा/सामाजिक सुधार अथवा सुरक्षा) करने वाली महिलाओं / बालिकाओं को सम्मानित करना ।

11. ग्राम्य विकास विभाग-

- मनरेगा योजना के अन्तर्गत 10,500 कुशल महिला श्रमिकों, 24,112 अर्द्धकुशल महिला श्रमिकों, 6,44,500 महिला अकुशल श्रमिकों एवं 8450 महिला मेट को रोजगार प्रदान किया जाना ।
- मुख्यमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) के अन्तर्गत महिला मुखिया या संयुक्त रूप महिला-पुरुष के नाम से आवंटित 32,000 आवासों को पूर्ण किया जाना ।

12. राजस्व विभाग-

- महिला खातेदारों का वरासत दर्ज करने के उपरांत निःशुल्क खतौनी का वितरण ।
- प्रदेश की प्रत्येक तहसील में स्थापित महिला हेल्प डेस्क पर प्राप्त होने वाली शिकायतों का समयान्तर्गत गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से प्रार्थिनी को अवगत कराया जाना ।
- महिलाओं के पक्ष में स्वीकृत किये गये विभिन्न पट्टों (कृषि आवंटन, आवास आवंटन, मत्स्य पालन आवंटन व कुम्हारी कला आवंटन) का वितरण प्रत्येक माह के अन्तिम सप्ताह में कराया जाना ।

13. सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग-

- मिशन शक्ति के विशेष अभियान फेज-06 के अन्तर्गत महिलाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जागरुकता हेतु पम्पलेट, फोल्डर व पेस्टिंग पोस्टर की प्रतियाँ प्रकाशित/वितरित कराया जाना।
- काशी विश्वनाथ पीठ तथा श्रीराम जन्मभूमि अयोध्या में जनपदवार वितरण हेतु फोल्डर व लीफलेट का पर्याप्त मात्रा में वितरण कराया जाना ।
- 08 एफ0एम0 रेडियो एवं 30 सामुदायिक रेडियो चैनलों द्वारा तीनों टाइम बैण्ड में "मिशन शक्ति" विषयक जिंगलों का प्रसारण कराया जाना ।
- प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर के महत्त्वपूर्ण समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में मिशन शक्ति अभियान का प्रचार-प्रचार कराया जाना ।
- मिशन शक्ति से संबंधित प्रदर्शनी में महिलाओं एवं बालिकाओं को प्रोत्साहित किए जाने वाली योजनाओं को प्रदर्शित किया जाना ।
- डिजिटल मीडिया (सोशल मीडिया) के विभिन्न प्लेटफॉर्म यथा- यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि के लगभग 40 प्लेटफार्मों पर अभियान का प्रचार-प्रसार कराया जाना ।
- इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से राष्ट्रीय क्षेत्रीय टी0वी0 न्यूज चैनलों व डिजिटल सिनेमा द्वारा लघु फिल्म डॉक्यूमेंट्री निर्माण/प्रसारण व एफ0एम0 रेडियो एवं सामुदायिक रेडियो चैनलों द्वारा जिंगलों के माध्यम से प्रसारण कराया जाना ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।